

**\*प्रेस नोट-सराहनीय कार्य-जनपद अमरोहा\***

**\*दिनांक 01.01.2023\***

**\*अमरोहा पुलिस को मिली बड़ी सफलता\*-**

**\*थाना गजरौला पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ शातिर बदमाश गोली लगने से घायल/गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा, लूट की घटना में प्रयुक्त ट्रक टाटा 10 टायरा व 9500/- रुपये नगद बरामद\* ।**

पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लांगहे के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जनपद अमरोहा में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्री राजीव कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी धनौरा श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना गजरौला पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ शातिर बदमाश गोली लगने से घायल/गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से अवैध असलहा (तमंचा व कारतूस), लूट की घटना में प्रयुक्त ट्रक टाटा 10 टायरा व 9500/- रुपये नगद बरामद हुए ।

**संक्षिप्त विवरण:-** रात्रि समय करीब 00.18 बजे थाना गजरौला पुलिस द्वारा पक्का पुल पर चैकिंग के दौरान कुमराला चौकी की तरफ से आ रहे एक ट्रक को टार्च की रोशनी से रुकने का इशारा किया जिस पर ट्रक सवार अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया व ट्रक लेकर तिगरी रोड की तरफ भागने लगे जिस पर पुलिस टीम द्वारा ट्रक का पीछा किया गया इस दौरान ट्रक तिगरी कांकाठेर रोड पर अनियंत्रित होकर खेत में घुस गया । ट्रक से दो बदमाश निकल कर भागे जिनके द्वारा पुनः पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया जिसमें पुलिस टीम बाल बाल बची तदोपरान्त पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ न्यूनतम जवाबी कार्यवाही की गयी जिसमें एक अभियुक्त पैर में गोली लगने से घायल हो गया जिसका एक अन्य साथी अंधेरे का लाभ लेकर ईख के खेत से फरार हो गया । गिरफ्तार/घायल अभियुक्त आले नबी पुत्र मुशरफ अली निवासी चन्दावर की मढ़ैया थाना असमौली जनपद सम्भल के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस, 02 खोखा व 01 मिस कारतूस 315 बोर व ट्रक टाटा 10 टायरा रजि0न0 UP21BN 4994 व 9500/- रुपये नगद बरामद हुये । अभियुक्त आले नबी उपरोक्त को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना गजरौला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये । फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है ।

**\*पूछताछ विवरण\*:-**

पूछताछ पर अभियुक्त आले नबी द्वारा आर्थिक लाभ लेने हेतु अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक 24.12.2022 को शिवा गोल्डन ढाबे से एक ट्रक ड्राइवर को डरा धमकाकर कब्जे में लेकर ढबारसी से पहले एक बाग में उसके ट्रक के सभी टायर खोलकर बरामद ट्रक टाटा 10 टायरा रजि0न0 UP21 BN 4994 में लोड कर वहां से भाग जाना बताया गया । हम सभी ने चोरी किये हुये सभी टायरों की अनुमानित कीमत रखकर सभी टायर अभियुक्त कासिम को दे दिये जिसने मुझे मेरे हिस्से में आये रुपयों में से एडवांस 12000/- रुपये दे दिये जिनमें से 9500/- रुपये बचे हैं बाकि खर्च होना बताया गया । उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना गजरौला पर मु0अ0सं0 844/2022 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत है, विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त को धारा 342, 394 भादवि में तरमीम किया गया । थाना गजरौला पुलिस द्वारा नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है ।



**\*घायल/गिरफ्तार अभियुक्त\*:-**

1. आले नबी पुत्र मुशरफ अली निवासी चन्दावर की मढैया थाना असमौली जनपद सम्भल ।

**\*बरामदगी\*:-**

1. अवैध असलहा 01 अवैध तमंचा, 02 जिंदा कारतूस व 02 खोखा व 01 मिस कारतूस 315 बोर ।
2. लूट की घटना में प्रयुक्त ट्रक टाटा 10 टायरा रजि0न0 UP21 BN 4994 ।
3. 9500/- रुपये नगद ।

**\*अपराधिक इतिहात अभियुक्त आले नबी\*:-**

1. मु0अ0सं0 844/22 धारा 342, 394 भादवि थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
  2. मु0अ0सं0 01/23 धारा 307 भादवि 3/25 आयुद्ध अधि0 (पुलिस मुठभेड) भादवि थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
- अभियुक्त के शेष अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम\*:-**

1. प्रभारी निरीक्षक अरिहन्त कुमार सिद्यार्थ थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
2. उ0नि0 रामेन्द्र सिंह थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
3. आरक्षी 401 टिकू थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
4. आरक्षी 136 कुलदीप थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
5. आरक्षी 54 मोहित कुमार थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
6. आरक्षी 1232 अंकित थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।

**\*PRO CELL AMROHA\***